Media/LKO/471/2015

लखनऊ, 26 मार्च 2015 दैनिक जागरण | 15

हाई कोर्ट ने मांगी पेराई से पूर्व बंद चीनी मिलों की सूची

मामले पर गंभीरता

- तीन चीनी मिलों के लिए बकाया भुगतान की समय सीमा तय की

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गन्ना आयुक्त से पूछा है कि पेराई पूरी करने से पहले कितनी चीनी मिलें बंद हो गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने किसानों का बकाया भुगतान न करने को गंभीरता से लिया है और श्रीराम ग्रुप की दो चीनी मिलों को 50 करोड़ रुपये 15 अप्रैल तक तथा मोदी ग्रुप की चीनी मिलों में से एक को 37 करोड़ तथा दूसरी मिल को बकाये की आधी राशि 20 अप्रैल तक भुगतान करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डा. डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में चीनी मिलों पर किसानों का बकाया 550.6 करोड़ रुपये के भुगतान की मांग की गई है। इसमें से 213 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। अभी भी 320 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान बाकी है।

बकायेदारों में श्रीराम ग्रुप व मोदी ग्रुप की चार चीनी मिलें शामिल हैं। बकाया पेराई सत्र 2013-14 का है। कोर्ट ने मिलों को चेतावनी दी है कि यदि बकाये का भुगतान नहीं किया गया तो सरकार गिरफ्तारी जैसी कानूनी कार्रवाई कर बकाया वसूल करे। बकाया वसूल करने में विफल रहने पर कोर्ट ने सरकारी कार्रवाई पर भी खिन्नता प्रकट की। अदालत में याची वीएम सिंह ने आरोप लगाया कि गन्ना खेतों में खड़ा है और 25 चीनी मिलें बंद कर दी गयी हैं। कोर्ट ने गन्ना आयुक्त को गन्ना पेराई की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया है।